सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 06/2014

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –नरबदखेड़ा

1. श्री रघुनाथसिंह बालिग पुत्र नैनाजी आयु 52 साल
2. श्री मांगुसिंह बालिग पुत्र नैनाजी आयु 48 साल
3. श्रीमती मेथीदेवी बेवा नैनाजी आयु 72 साल

समस्त जाति रावतान निवासियान गांव केसरपुरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0। बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व. नैना वल्द हीरा व हीरा वल्द सवाईजी जाति रावत निवासी गांव केसरपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर

..............वादीगण

बनाम

1. श्री मोहनसिंह बालिग पुत्र राजू
2. श्री छोटूसिंह बालिग पुत्र राजू
3. श्री श्रवणसिंह बालिग पुत्र राजू
4. श्री प्रभुसिंह बालिग पुत्र डुंगरसिंह पुत्र राजू
5. श्री बहादुरसिंह बालिग पुत्र डुंगरसिंह पुत्र राजू
6. श्री चिम्मनरिंह बालिग पुत्र डुगरसिंह पुत्र राजू
7. श्री बीरमसिंह बालिग पुत्र डुंगरसिंह पुत्र राजू
8. श्री सुखदेवसिंह बालिग पुत्र डुंगरसिंह पुत्र राजू
9. श्रीमती पेमी बेवा डुंगरसिंह पुत्र राजू
10. श्रीमती सम्पत्ति बालिग पुत्री डुंगरसिंह पुत्र राजू
11. श्रीमती पोखरी बालिग पुत्री डुंगरसिंह पुत्र राजू
12. श्रीमती बिदामी बालिग पुत्री राजू
13. श्रीमती कंवरी बालिग पुत्री राजू
14. श्रीमती नेमा बालिग पुत्री राजू
15. श्रीमती पुनी बालिग पुत्री राजू
16. श्रीमती मीरा बालिग पुत्री राजू
17. श्रीमती पुष्पा बालिग पुत्री राजू
18. श्रीमती पतासी बालिग पुत्री राजू

समस्त जाति रावतान निवासियान गांव केसरपुरा तहसील ब्यावर बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व. राजू वल्द हीरा व हीरा वल्द सवाईजी जाति रावत निवासी केसरपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।

19. श्री जसवन्तसिंह वल्द शैरा जी
20. श्री फतुसिंह वल्द शैरा जी
21. श्रीमती भोली बेवा नाथूसिंह वल्द शैराजी
22. श्रीमती सुन्दर पुत्री नाथूसिंह वल्द शैराजी
23. श्रीमती बसन्ता पुत्री नाथूसिंह वल्द शैराजी
24. श्रीमती कमला पुत्री शैराजी
25. श्रीमती गीता पुत्री शैराजी
26. श्रीमती गोदावरी पुत्री शैराजी

समस्त जाति रावतान निवासियान गांव केसरपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0। बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 शैरा वल्द हीरा व हीरा वल्द सवाईजी जाति रावत निवासी केसरपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

27. राजस्थान सरकार जरिये भु–धारक तहसीलदार ब्यावर
28. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक ब्यावर।
29. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अजमेर।

..............प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

.............लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

श्री रघुनाथसिंह व अन्य बनाम श्री मोहनसिंह व अन्य
राजस्व वाद संख्या 06/2014
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 01.06.2018

वादीगण ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि गांव केसरपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 में विद्यमान कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 00—05—00, 105/1 रकबा 00—02—10, 105/2 रकबा 00—05—00, 360 रकबा 00—13—00, 361 रकबा 00—13—00, 362 रकबा 00—13—00, 363 रकबा 00—15—00, 364 रकबा 00—16—00, 366 रकबा 00—17—10, 401 रकबा 01—11—00, 402 रकबा 01—00—00, 403 रकबा 00—10—10, 440/1 रकबा 00—13—00, 440/2 रकबा 00—12—10, 442/1 रकबा 00—11—00, 442/2 रकबा 00—06—00, 460 रकबा 00—10—00, 519/1 रकबा 00—03—00, 683 रकबा 00—06—00 कुल रकबा 11—03—00 स्थित है जिन्हें आगे वादग्रस्त भूमियों के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त खसरा नम्बरान के साबिक खसरा नम्बर 61, 310, 311 से 315, 299, 372, 373, 374, 379, 364, 365, 366, 402, 401, 352, 353, 95, 497, 517 है। उक्त भूमिया वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 26 की पैतृक है, अर्थात् वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 26 के पूर्वज राजू, शेरा व नैना के हक हिस्से की वादग्रस्त आराजियात सहित अन्य आराजियात थी जिसके 2/3 हिस्से पर राजू, शेरा व नैना अपने जीवनकाल तक संयुक्त रूप से काबिज रहे, इसी कारण राजस्व जमाबन्दी संवत् 1362 व 1363 फसली व उसके बाद की बनी जमाबन्दी संवत् 2018—21 की जमाबन्दी में बतौर खातेदार काश्तकार अंकित चले आ रहे हैं, जिनमें वादीगण के पूर्वज श्री नैना का नाम भी बतौर खातेदार काश्तकार अपने सगे भाई राजू व शेरा के साथ अंकित चला आ रहा है। वादीगण स्वर्गीय नैना वल्द हीरा के ही उत्तराधिकारी है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण में पिता नैनाजी का 2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा के व प्रतिवादी संख्या 1 से 18 के पूर्वज राजू का 2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 19 से 26 के पूर्वज श्री शेराजी का 2 हिस्सों में से 1/3 हिस्सा चला आ रहा है व इसी अनुरूप वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त रहे। संवत् 2027 के पश्चात् अजमेर जिले में सेटलमेंट की कार्यवाही चल रही थी व सेटलमेंट अधिकारियों को जिस प्रकार पूर्व में खातेदारों के नाम अंकित थे उसी अनुरूप वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 जो बनाई गई उसमें भी उसी अनुरूप खातेदारों के नाम अंकित करने चाहिये थे किन्तु सेटलमेंट अधिकारियों ने वादीगण के पिता व पति श्री नैना का नाम अंकित नहीं किया व केवल नैना के सग्गे भाई राजू व शेरा का ही नाम अंकित किया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 26 संयुक्त रूप से काबिज काश्त बिना किसी बाधा व रूकावट के चले आ रहे थे, किन्तु कुछ समय पूर्व वादग्रस्त भूमि सड़क मंत्रालय द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही का जा रही जिसके मुआवजे बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 से 26 को नोटिस आये व वादीगण के नोटिस नहीं आए तब हल्का पटवारी ने राजस्व रेकार्ड देखकर बताया कि वादीगण का तो राजस्व अभिलेखों में नाम ही नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 26 से सम्पर्क कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में उनके हक हिस्से का अंकन राजस्व अभिलेखों में अंकित करवा देवे, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 26 आग बबूला हो गये व राजस्व अभिलेखों में नाम अंकन करवाने से स्पष्ट इंकार हो गए व साथ ही धममियां देने लगे कि वे वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर देंगे व उक्त भूमि को अन्य को बेचान कर देंगे। अतःएव प्रस्तुत वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः यह घोषित किया जाये कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 26 की पैतृक भूमि है व श्री राजू, शेरा व नैना वादग्रस्त आराजी के 2 हिस्से के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार थे व उनके स्वर्गवास के पश्चात् वादग्रस्त आराजी 2 हिस्सों में से 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण है व यह भी घोषित किया जावे कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेखों में राजस्व व सेटलमेंट के कर्मचारियों व अधिकारियों ने वादीगण के पूर्व श्री नैना का नाम बिना किसी न्यायिक आदेश के गलत व गैरकानूनी रूप से हटा दिया है व श्री राजू व शेरा के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 26 ने गलत व गैरकानूनी रूप से अपना नाम अंकित करवा लिया है जिसे वादीगण अपने उपरोक्त हिस्से तक निरस्त करवाने

.................लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

के अधिकारी है व वादीगण भी वादग्रस्त आराजी के 2 हिस्सों में से 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार व काबिज काश्त है व यह भी घोषित किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 से 26 को वादग्रस्त आराजी के 2 हिस्सो को अथवा उसके किसी भी हक हिस्से को मय वादीगण के हक हिस्से को बेचान करने का कोई हक व अधिकार नहीं है व ऐसे बेचान से वादीगण पाबंद व जिम्मेवार नहीं है। परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 27 को आदेश प्रदान किया जाये कि वादग्रस्त आराजी के 2 हिस्सों में से 1/3 हिस्से तक वादीगण का नाम भी अंकित करें। प्रतिवादी संख्या 1 से 28 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 6, 10, 11, 19 से 26 बावजूद सम्मन तामीली के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 2, 12 से 18 की ओर से प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर वादीगण के कथनों को स्वीकार करते हुए कथन किए कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का नाम हट गया है जिसे अंकित कर दुरूस्त किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में स्वीकारात्मक जवाबदावा होने से तनकियात कायम नहीं की गई तथा वादी संख्या 2 श्री मांगूसिंह ने साक्ष्य के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया तथा प्रदर्श अंकित किए।

कैम्प में वादीगण संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया जिन्होंने कथन किए कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है तथा उक्त आशय का जवाब भी प्रस्तुत किया हुआ है। अतः वाद स्वीकार किये जाने के कथन मज़में आम में किए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रदर्श 1 जमाबन्दी फसली सन् 1362 से 1363 है जिसमें साबिक खसरा नम्बर 61, 86, 299, 310, 311 से 315, 372, 373, 374, 497, 501, 502, 517, 547, 553 में राजू बालिग शेरा व नेजा नाबालिगान बहसरबराही मु. हंजा वाल्दा खुद पिसरान हीरा बहिस्से बराबर 2 हिस्सा हजारी व मल्ला व मोती पिसरान पन्ना बहिस्से बराबर 1 हिस्सा मु. उजीरी बेवा लाखा 1 हिस्सा कोम रावत साकिन देह दर्ज है। प्रदर्श–2 ग्राम केशरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2018–2021 है तथा प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत् 2022–2025 है जिसमें साबिक खसरान् राजू बालिग व शेरा व नैना नाबालिगान बसरबराही मु. हंजा वाल्दा खुद पिसरान हीरा बहिस्सा बराबर 2 हिस्सा हजारी व मल्ला व मोती पि. पन्ना बहिस्से बराबर 1 हिस्सा व मु. उजीरा बेवा लाखा 1 हिस्सा कौम रावत सा. देह खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–4 खेवट फसली सन् 1362–1363 है। प्रदर्श– 5 मिलान क्षेत्रफल है जिसमें साबिक खसरा संख्या के हाल खसरा नम्बर बनना पाया जाता है। प्रदर्श–6 ग्राम केसरपुरा की वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 है जिसमें हाल खसरा संख्या 58, 105/1, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 401, 402, 440/1, 442/1, 460, 515, 516, 519, 683 राजू व शेरा पि. हीरा 2 हि. पदमा व नीम्बा छोगा गोमा भंवर बाबू व डालू पि. हजारी, मला मोती पि. पन्ना 1 हिस्सा कौम रावत सा. देह दर्ज है। प्रदर्श–7 ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का नरबदखेड़ा की जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 133 में अंकित खसरा संख्या 58, 105/1, 501/2, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 401, 402, 403, 440/1, 440/2, 442/1, 442/2, 460, 519/1, 683 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादीगण के पूर्वज नैना जी फसली सन् जमाबन्दी संवत् 1362–63 तथा जमाबन्दी संवत् 2018–21, 2022–25 में उनके भाई राजू व शेरा पि. हीरा तथा उनकी माता हंजा के साथ 2 हिस्से में सहखातेदार दर्ज था जो वर्किंग जमाबन्दी 2041 में नैना पि. हीरा का नाम दर्ज होने से रह गया है। प्रतिवादीगण ने भी वादीगण के पक्ष में जवाब प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में नैना पि. हीरा के वारिसान वादीगण स्वयं का नाम राजू व शेरा के वारिसान प्रतिवादीगण के साथ वादग्रस्त आराजी में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

..................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 26 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 के खसरा नम्बर 58 रकबा 00–05–00, 105/1 रकबा 00–02–10, 105/2 रकबा 00–05–00, 360 रकबा 00–13–00, 361 रकबा 00–13–00, 362 रकबा 00–13–00, 363 रकबा 00–15–00, 364 रकबा 00–16–00, 366 रकबा 00–17–10, 401 रकबा 01–11–00, 402 रकबा 01–00–00, 403 रकबा 00–10–10, 440/1 रकबा 00–13–00, 440/2 रकबा 00–12–10, 442/1 रकबा 00–11–00, 442/2 रकबा 00–06–00, 460 रकबा 00–10–00, 519/1 रकबा 00–03–00, 683 रकबा 00–06–00 में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 26 के चले आ रहे ($^1/_3 + ^1/_3$) अर्थात् कुल 2/3 हिस्से में वादीगण को संयुक्त रूप से बहिस्से बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादीगण संख्या 19 से 26 संयुक्त रूप से, 2/3 हिस्से में से बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदनुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम इन्द्राज कर राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 26 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प –नरबदखेड़ा
राजस्व वाद संख्या 06/2014

1. श्री रघुनाथसिंह बालिग पुत्र नैनाजी आयु 52 साल
2. श्री मांगुसिंह बालिग पुत्र नैनाजी आयु 48 साल
3. श्रीमती मेथीदेवी बेवा नैनाजी आयु 72 साल

समस्त जाति रावतान निवासियान गांव केसरपुरा, तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0। बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व. नैना वल्द हीरा व हीरा वल्द सवाईजी जाति रावत निवासी गांव केसरपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर

..............वादीगण

बनाम

1. श्री मोहनसिंह बालिग पुत्र राजू
2. श्री छोटूसिंह बालिग पुत्र राजू
3. श्री श्रवणसिंह बालिग पुत्र राजू
4. श्री प्रभुसिंह बालिग पुत्र डुंगरसिंह पुत्र राजू
5. श्री बहादुरसिंह बालिग पुत्र डुंगरसिंह पुत्र राजू
6. श्री चिम्मनसिंह बालिग पुत्र डुगरसिंह पुत्र राजू
7. श्री बीरमसिंह बालिग पुत्र डुंगरसिंह पुत्र राजू
8. श्री सुखदेवसिंह बालिग पुत्र डुंगरसिंह पुत्र राजू
9. श्रीमती पेमी बेवा डुंगरसिंह पुत्र राजू
10. श्रीमती सम्पत्ति बालिग पुत्री डुंगरसिंह पुत्र राजू
11. श्रीमती पोखरी बालिग पुत्री डुंगरसिंह पुत्र राजू
12. श्रीमती बिदामी बालिग पुत्री राजू
13. श्रीमती कंवरी बालिग पुत्री राजू
14. श्रीमती नेमा बालिग पुत्री राजू
15. श्रीमती पुनी बालिग पुत्री राजू
16. श्रीमती मीरा बालिग पुत्री राजू
17. श्रीमती पुष्पा बालिग पुत्री राजू
18. श्रीमती पतासी बालिग पुत्री राजू

समस्त जाति रावतान निवासियान गांव केसरपुरा तहसील ब्यावर बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व. राजू वल्द हीरा व हीरा वल्द सवाईजी जाति रावत निवासी केसरपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।

19. श्री जसवन्तसिंह वल्द शैरा जी
20. श्री फतुसिंह वल्द शैरा जी
21. श्रीमती भोली बेवा नाथूसिंह वल्द शैराजी
22. श्रीमती सुन्दर पुत्री नाथूसिंह वल्द शैराजी
23. श्रीमती बसन्ता पुत्री नाथूसिंह वल्द शैराजी
24. श्रीमती कमला पुत्री शैराजी
25. श्रीमती गीता पुत्री शैराजी
26. श्रीमती गोदावरी पुत्री शैराजी

समस्त जाति रावतान निवासियान गांव केसरपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0। बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 शैरा वल्द हीरा व हीरा वल्द सवाईजी जाति रावत निवासी केसरपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

27. राजस्थान सरकार जरिये भु–धारक तहसीलदार ब्यावर
28. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक ब्यावर।
29. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर अजमेर।

..............प्रतिवादीगण

................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

डिगरी मुकदमा इब्तदाई
श्री रघुनाथसिंह व अन्य बनाम श्री मोहनसिंह व अन्य
राजस्व वाद संख्या 06/2014
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण – श्री ज्ञानचंद गादिया, श्री पंकज गादिया
अधिवक्ता प्रतिवादीगण – श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान
अधिवक्ता प्रतिवादी सं 5 – पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– 06/2014
निर्णय/डिक्री दिनांक :– 01.06.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में पेश हुआ। वादीगण संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या 5 स्वयं उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.06.2018 को सुखराम खोखर (आए.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट नरबदखेड़ा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 26 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम केसरपुरा पटवार हल्का नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0 के खसरा नम्बर 58 रकबा 00–05–00, 105/1 रकबा 00–02–10, 105/2 रकबा 00–05–00, 360 रकबा 00–13–00, 361 रकबा 00–13–00, 362 रकबा 00–13–00, 363 रकबा 00–15–00, 364 रकबा 00–16–00, 366 रकबा 00–17–10, 401 रकबा 01–11–00, 402 रकबा 01–00–00, 403 रकबा 00–10–10, 440/1 रकबा 00–13–00, 440/2 रकबा 00–12–10, 442/1 रकबा 00–11–00, 442/2 रकबा 00–06–00, 460 रकबा 00–10–00, 519/1 रकबा 00–03–00, 683 रकबा 00–06–00 में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 26 के चले आ रहे ($^1/_3 + ^1/_3$) अर्थात् कुल 2/3 हिस्से में वादीगण को संयुक्त रूप से बहिस्से बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 संयुक्त रूप से तथा प्रतिवादीगण संख्या 19 से 26 संयुक्त रूप से, 2/3 हिस्से में से बराबर–बराबर हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तदनुसार तहसीलदार ब्यावर राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम इन्द्राज कर राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 26 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के हक हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 01.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर